राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी, श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर0ए0एस0)
कैम्प कोर्ट सुरपालिया

राजस्व वाद संख्या– 63/2017

1– बलदेवराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी धीजपुरा तह. जायल जि. नागौर।
.........................वादी

बनाम

1– मांगीलाल पुत्र छताराम जाति जाट निवासी धीजपुरा तह. जायल जिला नागौर।
2– सुरेश पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी धीजपुरा तह. जायल जिला नागौर।
3– बजरंगलाल पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी धीजपुरा तह. जायल जि. नागौर
4– मालाराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी धीजपुरा तह. जायल जिला नागौर।
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।
6– उपपंजीयक जायल।

.... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर0टी0एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1 श्री हनुमानराम मण्डा वादी की और से।
2 श्री बस्तीराम ढाका प्रतिवादी सं. 01 से 04 की और से।
3 श्री रामप्रकाश बैंदा प्रतिवादी सं. 01 से 04 की और से।
4 श्री हरीश पारीक प्रतिवादी सं. 02 की और से।

–: निर्णय :–

दिनांक

वादी के वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा धीजपुरा के खेत खसरा नम्बर 1759 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1771/2 रकबा 35 बीघा 15 बिस्वा तथा मौजा खाटूकला खेत खसरा नम्बर 1668/01 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा व मौजा धीजपुरा का खेत खसरा नम्बर 1521 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 2056/1521 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि आयी हुयी है। मौजा धीजपुरा व खाटूकला की भूमियां प्रतिवदी सं.01 मांगीलाल ने अपने पुत्रों यानी प्रतिवादी सं. 02 से 04 के साथ रहते हुए अन्य व्यक्तियों को बैचान करके बदले में

01/5/18

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

राशि प्राप्त कर ली तथा वादी को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। वादी ने जब दिनांक 14.02.17 को खतोनी की नकल प्राप्त की तो पता चला कि वादी के बडेर की भूमि मात्र 72 बीघा 06 बिस्वा भूमि ही प्रतिवादी सं. 01 के नाम खातेदार में दर्ज है। जो भूमिया भी प्रतिवादी सं. 01 बैचने पर आमदा है। वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 से 04 ने अपसी पारिवारिक सहमति से भूमि का मौखिक बंटवारा संवत 2065 को वाद के पैरा संख्या 2(क) के अनुसार कर लिया था। परन्तु उक्त बंटवाड़ा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने से वादीगण को यह वाद न्यायालय हाजा में पेश करना लाजमी हो गया है। वादीगण ने यह वाद पेश कर वाद पत्र के पैरा स0 2 में वर्णित बंटवाडा स्कीम अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर डिकी किये जाने का निवेदन किया ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 से 04 की और से वकील बस्तीराम ढाका व रामप्रकाश बैंदा ने वकालनाम पेश कर इन की ओर से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 05 से 06 बावजूद तामील गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

वादी व प्रतिवादी सं. 01 व 04 में राजीनाम होने के कारण प्रकरण में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये। प्रकरण में विद्धवान अधिवक्ता वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादी व वकील प्रतिवादी ने राजीनामा के अनुसार अलग अलग खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिकी किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धवान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत वादीगण का वाद निम्न प्रकार से डिकी किया जाता है :–

1– वादी बलदेवराम के बंट में मौजा धीजपुरा के खेत खसरा नम्बर 1759 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा में से 09 बीघा 02 बिस्वा माफिक नजरी नक्शा के अनुशार रखा जाकर अलग खातेदार घोषित किया जाता है।

2– प्रतिवादी सं. 02 सुरेश के बंट में मौजा धीजपुरा के खेत खसरा नम्बर 1759 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा में से 09 बीघा 03 बिस्वा माफिक नजरी नक्शा के अनुशार रखा जाकर अलग खातेदार घोषित किया जाता है।

3– प्रतिवादी सं. 03 बजरंगलाल के बंट में मौजा धीजपुरा के खेत खसरा नम्बर 1759 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा में से 09 बीघा 03 बिस्वा माफिक नजरी नक्शा के अनुशार रखा जाकर अलग खातेदार घोषित किया जाता है।

01/5/18

लोक अदालत शिविर

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

4– प्रतिवादी सं. 04 मालाराम के बंट में मौजा धीजपुरा के खेत खसरा नम्बर 1759 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा में से 09 बीघा 03 बिस्वा माफिक नजरी नक्शा के अनुशार रखा जाकर अलग खातेदार घोषित किया जाता है।
5– शैष भूमियों की खातेदारी यथावत रखी जाती है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

01/5/18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/5/18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner